न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2018-00134RAAJodhpur2018-76TA223 Lichhiram ors Vs Bhanwarlal etc
2018-00133RAAJodhpur2018-75RTA223 Lichhiram ors Vs Bhanwarlal etc

(1) अपील संख्या 2018-76 (जीसीएमएस 2018-00134)

1. लिछीराम पुत्र श्री पोलाराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. बाबूलाल पुत्र श्री बागाराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. भंवरलाल पुत्र श्री लाबूराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. घेवरराम पुत्र लाबूराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- जे.पी. स्कूल के पास, खेमे का कुआ, पाल रोड़ जोधपुर।
3. नेनाराम पुत्र श्री लाबूराम जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- मालियों का बास, खेमे का कुऑ, पाल रोड़ जोधपुर।
4. गजराज पुत्र श्री लाबूराम जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- 21ई/407 सार्वजनिक पार्क के पास, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
5. पुखराज पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति- सुथार, निवासी सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- व्हाईट हाउस के सामने वाली गली सुभाष नगर, पाल रोड़, जोधपुर।
6. खुमाराम पुत्र श्री हजारीराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

09.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7. भगवानराम पुत्र श्री बागाराम, जाति- सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- मकान नं. 7, सुभाषनगर, खेमे का कुआँ, पाल रोड़, जोधपुर।
8. मांगीलाल पुत्र श्री छोगाराम
9. भीखाराम पुत्र श्री छोगाराम
10. राजेन्द्र पुत्र श्री छोगाराम
11. चैनाराम पुत्र तुलछाराम
    सभी जातियान् सुथार, निवासीगण- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
12. पेमाराम पुत्र श्री तुलछाराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, प्लॉट नं. 410, वात्सल्य भवन, सुभाषनगर, पाल रोड़, जोधपुर।
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ बंटवाड़ा आदेश दिनांक 01 फरवरी 1983 उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व केम्प जानादेसर में ग्राम जानादेसर के खाता संख्या 121 में दर्ज खसरा नं. 159, 160, 161, 128 कुल रकबा 57बीघा 8 बिस्वा का बंटवाड़ा

उपस्थित-

श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार,अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक से तीन, छः व बारह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तेरह

(2) अपील संख्या 2018-75 (जीसीएमएस 2018-00133)

1. लिछीराम पुत्र श्री पोलाराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. बाबूलाल पुत्र श्री बागाराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

09.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. भंवरलाल पुत्र श्री लाबूराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. घेवरराम पुत्र लाबूराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- जे.पी. स्कूल के पास, खेमे का कुआ, पाल रोड़ जोधपुर।
3. नेनाराम पुत्र श्री लाबूराम जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- मालियों का बास, खेमे का कुऑ, पाल रोड़ जोधपुर।
4. गजराज पुत्र श्री लाबूराम जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- 21ई/407 सार्वजनिक पार्क के पास, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
5. पुखराज पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति- सुथार, निवासी सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- व्हाईट हाउस के सामने वाली गली सुभाष नगर, पाल रोड़, जोधपुर।
6. खुमाराम पुत्र श्री हजारीराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
7. भगवानराम पुत्र श्री बागाराम, जाति- सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- मकान नं. 7, सुभाषनगर, खेमे का कुऑ, पाल रोड़, जोधपुर।
8. मांगीलाल पुत्र श्री छोगाराम
9. भीखाराम पुत्र श्री छोगाराम
10. राजेन्द्र पुत्र श्री छोगाराम
11. चैनाराम पुत्र तुलछाराम

सभी जातियान् सुथार, निवासीगण- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

09.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12. पेमाराम पुत्र श्री तुलछाराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, प्लॉट नं. 410, वात्सल्य भवन, सुभाषनगर, पाल रोड़, जोधपुर।
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ बंटवाड़ा आदेश दिनांक 01 फरवरी 1983 उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व केम्प जानादेसर में ग्राम जानादेसर के खाता संख्या 50 में दर्ज खसरा नं. 130, 169, 162 कुल रकबा 141 बीघा 18 बिस्वा का बंटवाड़ा

उपस्थित-
श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार,अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक से तीन, छः व बारह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तेरह

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 09 नवंबर 2023

अपीलाण्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व केम्प जानादेसर में ग्राम जानादेसर के खाता संख्या 121 में दर्ज खसरा नं. 159, 160, 161, 128 कुल रकबा 57 बीघा 8 बिस्वा तथा खाता संख्या 50 में दर्ज खसरा नं. 130, 169, 162 कुल रकबा 141 बीघा 18 बिस्वा के बंटवाड़ा आदेश दिनांक 01 फरवरी 1983 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 14 मई 2018 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा दोनो अपीलों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपीले प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। वहस सुनी गई।

09.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इन दोनों अपीलों से संबंधित विषय-वस्तु, पक्षकारान इत्यादि एकसमान होने से उभयपक्षकारान की सहमति से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस एक ही निर्णय के जरिये किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली में संलग्न रखी जावे।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उभय पक्ष द्वारा द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में राजस्व अभियान जानादेसर में उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष बंटवाड़ा प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सहमति से दिनांक 01 फरवरी 1983 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपीले प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया कि बंटवाड़ा आदेश दिनांक 01 फरवरी 1983 पारित करते समय सभी सहखातेदारान् मौजूद नहीं थे और न ही अपीलांट मौजूद था। ऐसी स्थिति में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से यह आदेश काबिले खारिज है। उपरोक्त खाता संख्या 121 एवं 50 का जो बंटवाड़ा किया गया, उसमें न तो अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया और उस समय अपीलांट बाबुलाल की उम्र मात्र 12 साल की थी और इससे साफ जाहिर है कि जो बंटवाड़ा आदेश दिनांक 01 फरवरी 1983 को भरा गया वह खिलाफ कानून है तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। धारा 53 में जो सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करने का प्रावधान है, उसमें सभी पक्षकारों का होना जरूरी है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं है और न ही पक्षकारान् की सहमति है। इस बिनाय पर हस्तगत निर्णय काबिले खारिज है। मामले हाजा में सभी काश्तकार पूर्ववत काबिज है तथा अपीलांट भी मौखिक बंटवाड़े अनुसार

09-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपने खसरे पर काबिज है। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। दिनांक 28.02.2018 को रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स के कब्जासुदा खातेदारी खेत में दखलंदाजी शुरू की। तब प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय दिनांक 01 फरवरी 1983 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए निवेदन किया, परन्तु पटवारी हल्का ने मात्र नामांतरकरण की प्रति उपलब्ध करवा दी, परन्तु आदेश की प्रमाणित प्रति देने से इंकार कर दिया। इस पर प्रार्थीगण ने प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल करने के लिए भरसक प्रयास किया, परन्तु प्रार्थीगण को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति हासिल नहीं हुई। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण का निस्तारण गुण दोष के आधार पर होना चाहिए, जिससे प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके। वकील अपीलांट्स ने अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जावे तथा दोनो अपीले गुणावगुण पर स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 01 फरवरी 1983 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में मिथ्या कथन किये गये है। प्रार्थीगण को सन् 1982 से आज दिन तक अपने राजस्व रेकर्ड में किये गये इन्द्राजों की भली भांति जानकारी थी। दिनांक 28.02.2018 को पूर्व में किये गये राजस्व इन्द्राज की जानकारी का कथन सरासर झूठा है। खसरा नं. 159, 160, 161 व 118 में हजारी पुत्र दुर्गा का 1/2 हिस्सा, तुलछा पुत्र भेरा का 1/4 हिस्सा व बाबुलाल पुत्र बागाराम,

09.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पोलाराम, छोगाराम पुत्र लुणाराम का 1/4 हिस्सा था, जिसका कुल रकबा 77.5 बीघा था। खसरा नं. 60 का मूल रकबा 40 बीघा था, जिसमें से हजारीराम जी ने 20 बीघा जमीन गणपतराम पुत्र डूंगरराम को सन् 1977 में बेचान कर दिया, जिसका नामांतरकरण संख्या 195 स्वीकार किया जाकर उनका खाता अलग कर दिया गया। शेष बची कृषि भूमि का सभी सहखातेदारो ने सहमति से बंटवाड़ा कर लिया। बंटवाड़े में खसरा नं. 159 में 07 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नं. 161 में 10 बीघा भूमि हजारीराम के बंट में रखी गई। इसी प्रकार तुलछाराम पुत्र भेराराम के बंट में खसरा नं. 161 में 05 बीघा, खसरा नं. 160 में 10 बीघा, खसरा नं. 159 में 4 बीघा भूमि रखी गई तथा बाबुलाल पुत्र बधाराम, छोगारूम पुत्र लूणाराम व लच्छीराम पुत्र पोलाराम के बंट में खसरा नं. 159 में 04 बीघा खसरा नं. 160 में 10 बीघा, खसरा नं. 161 में 05 बीघा 1 बिस्वा भूमि रखी गई। चूंकि खसरा नं. 160 में हजारीराम जी ने अपना संपूर्ण 20 बीघा भूमि सन् 1977 में ही गणपतराम को बेचान कर दी थी, इस कारण खसरा नं. 160 में हजारीराम की कोई जमीन शेष नहीं रही। इसके बाद भगवानराम, बाबुलाल पुत्र बागाराम व छोगाराम पुत्र लूणाराकम, लच्छीराम पुत्र पोलाराम ने बंटवाड़ा कर लिया, जिसका नामांतरकरण संख्या 21 स्वीकार किया गया, जिसके फलस्वरूप खसरा नं. 159 का रकबा 04 बीघा 1 बिस्वा बाबुलाल पुत्र बागाराम के बंट में रख दिया गया। इसके बाद फिर एक बंटवाड़ा जिसका नामांतरकरण संख्या 65 है, जिसके जरिये खसरा नं. 159/1 रकबा 04 बीघा 1 बिस्वा अकेले लच्छीराम के बंट में दे दिया गया। यह तमाम तथ्य जिससे अपीलांट्स भली भॉति वाकिब थे, इन्हे अपीलांट्स द्वारा छुपाये गये है तथा अदालत हाजा को गुमराह करने की कोशिश की गई है। अपीलार्थीगण न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों

09.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को देखते हुए अपील पेश करने में हुए विलंब को कतई क्षमा नहीं किया जा सकता है। अंत में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम खारिज फरमाया जावे अपील अपीलांट्स म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2011-2030 ग्राम जानादेसर तहसील जोधपुर के खाता संख्या 136 के मुताबिक वक्त बंदोबस्त वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 159 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 160 रकबा 40 बीघा, खसरा नं. 162 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नं. 118 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी हजारी वल्द दुर्गा 1/2, तुलछा वल्द भेरा 1/4, बागला, पोलीया, छोगला पि. लूणा राम 1/4 कौम सुथार की खातेदारी रही है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर राजस्व अभियान जानादेसर के समक्ष बंटवाड़ा प्रस्तुति के वक्त उपस्थिति स्वरूप अपीलांट लिच्छीराम सहित अन्य पक्षकारान् के हस्ताक्षर मौजूद है।

जमाबंदी संवतः 2049-2052 के कॉलम संख्या 11 से 17 में अंकन अनुसार अपीलांट्स सहित वादग्रस्त आराजीयात के अन्य खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाड़ा कर अपने-अपने खाते अलग किये गये है, जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 21 दिनांक 23.06. 1992 स्वीकृत होना पाया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध अन्य नामांतरकरण संख्या 65 दिनांक 22 जनवरी 2002 जो अपीलांट बाबुलाल सहित पक्षकारान् द्वारा उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 100/2002 में पारित निर्णय

09.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की पालना में भरा गया है, जिसके मुताबिक भी खसरा नं. 129/1 रकबा 9.10 बीघा एवं खसरा नं. 130 रकबा 13.13 बीघा भूमि अपीलांट बाबुलाल के हिस्से में रख कर बंटवाड़ा किया गया है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट्स को शुरूआत से रही है तथा उनके द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए हस्तगत अपीले प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपीले प्रस्तुत किये जाने हुए 35 वर्षो के विलम्ब का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया तथा मिथ्या कथनों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा अपीले पेश करने में विलम्ब का पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम खारिज किया जाकर दोनो अपीले काल वर्जित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो अपीलों में पारित अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश दिनांक 01 फरवरी 1983 यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.11.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 2018-76 (जीसीएमएस 2018-00134)

(2) अपील संख्या 2018-75 (जीसीएमएस 2018-00133)

अपीलाण्ट

1. लिछीराम पुत्र श्री पोलाराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. बाबूलाल पुत्र श्री बागाराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेण्ट

1. भंवरलाल पुत्र श्री लाबूराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. घेवरराम पुत्र लाबूराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- जे.पी. स्कूल के पास, खेमे का कुआ, पाल रोड़ जोधपुर।
3. नेनाराम पुत्र श्री लाबूराम जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- मालियों का बास, खेमे का कुऑ, पाल रोड़ जोधपुर।
4. गजराज पुत्र श्री लाबूराम जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- 21ई/407 सार्वजनिक पार्क के पास, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
5. पुखराज पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति- सुथार, निवासी सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- व्हाईट हाउस के सामने वाली गली सुभाष नगर, पाल रोड़, जोधपुर।
6. खुमाराम पुत्र श्री हजारीराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी

19.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

7. भगवानराम पुत्र श्री बागाराम, जाति- सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, हाल निवासी- मकान नं. 7, सुभाषनगर, खेमे का कुआँ, पाल रोड़, जोधपुर।
8. मांगीलाल पुत्र श्री छोगाराम
9. भीखाराम पुत्र श्री छोगाराम
10. राजेन्द्र पुत्र श्री छोगाराम
11. चैनाराम पुत्र तुलछाराम
    सभी जातियान् सुथार, निवासीगण- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
12. पेमाराम पुत्र श्री तुलछाराम, जाति सुथार, निवासी- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, प्लॉट नं. 410, वात्सल्य भवन, सुभाषनगर, पाल रोड़, जोधपुर।
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ बंटवाड़ा आदेश दिनांक 01 फरवरी 1983 उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व केम्प जानादेसर में ग्राम जानादेसर के खाता संख्या 121 में दर्ज खसरा नं. 159, 160, 161, 128 कुल रकबा 57बीघा 8 बिस्वा का बंटवाड़ा

(2) अपील संख्या 2018-75 (जीसीएमएस 2018-00133)
अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ बंटवाड़ा आदेश दिनांक 01 फरवरी 1983 उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व केम्प जानादेसर में ग्राम जानादेसर के खाता संख्या 50 में दर्ज खसरा नं. 130, 169, 162 कुल रकबा 141 बीघा 18 बिस्वा का बंटवाड़ा

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 09 नवंबर 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता

09.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम खारिज किया जाकर दोनो अपीले काल वर्जित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो अपीलों में पारित अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश दिनांक 01 फरवरी 1983 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 09 नवंबर 2023 को जारी किया गया।

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

09.11.23
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर